न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री धीरेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

आवेदन संख्या :– 217/2022

प्रार्थीगण

1. खेताराम पुत्र भारमलराम
2. काली पत्नी भारमल
3. रामजीवन पुत्र भारमल
4. रूपाराम पुत्र भारमल

जाति विश्नोई निवासी शिवमन्दिर तहसील धोरीमन्ना

बनाम

विप्रार्थीगण

01. गणपतराम पुत्र नीम्बाराम उम्र 65 वर्श
02. सुजानाराम पुत्र नीम्बाराम उम्र 67 वर्श
03. भाखराराम पुत्र नीम्बाराम उम्र 60 वर्श
04. चौथाराम पुत्र नीम्बाराम उम्र 58 वर्श
05. मंगलाराम पुत्र हरचंदराम उम्र 70 वर्श
06. भारमल पुत्र हरचंदराम उम्र 85 वर्श
07. चुतराराम पुत्र हरचंदराम उम्र 82 वर्श
08. केशराराम पुत्र हरचंदराम उम्र 80 वर्श
09. धनाराम पुत्र नारायणराम उम्र 80 वर्श
10. अर्जुन पुत्र सोनाराम उम्र 70 वर्श
11. सुखराम पुत्र आदुराम उम्र 55 वर्श
12. वरींगा पुत्र आदुराम उम्र 70 वर्श
13. गोरखाराम पुत्र चौथाराम उम्र 60 वर्श
14. वीरमा पुत्र भगवाना उम्र 70 वर्श
15. रामकिशन पुत्र वगता उम्र 50 वर्श
16. गंगा पुत्र प्रभु उम्र 60 वर्श
17. देराम पुत्र सुरताराम उम्र 55 वर्श
18. लाधु पुत्र लाखा उम्र 55 वर्श
19. चौथी पत्नि वगताराम उम्र 70 वर्श

    जाति विश्नोई निवासी षिवमन्दिर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।
20. रतनाराम पुत्र डुंगराराम उम्र 65 वर्श
21. खेमाराम पुत्र डुंगराराम उम्र 60 वर्श
22. धना पुत्र ताजा उम्र 60
23. अचला पुत्र जुगताराम उम्र 70 जाति जाट निवासी लुंगी नाडी दुधू तहसील धोरीमन्ना
24. तहसीलदार धोरीमन्ना
25. पुरखाराम पुत्र खेताराम
26. चुतराराम पुत्र डुंगराराम
27. चिमाराम पुत्र खेताराम
28. चुतराराम पुत्र डुंगराराम
29. जोगाराम पुत्र खेताराम
30. तीजोदेवी पत्नी पुरखाराम
31. धर्माराम पुत्र शोभाराम
32. पारूदेवी पत्नी खेताराम
33. [illegible] पुत्र खेताराम
34. [illegible] ताजा
35. [illegible]
36. [illegible]
37. [illegible] पुत्र ताजा
38. भेर[illegible] पुत्र ताजाराम

    जा[illegible]ाट निवासी लूंगी नाडी दुधू तहसील धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:29:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबन्दी

तारीख रजू :– 12.12.2022

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्तागण :– 1. श्री जगदीश कुमार, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री बलवन्तसिंह चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थीगण

– : : निर्णय : : –

दिनांक :– 21.05.2024

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश कुमार द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का खातेदारी के खेत राजस्व ग्राम शिवमन्दिर पटवार क्षेत्र नेडीनाडी तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 471/77 क्षेत्रफल 1.7968 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम एवं राजस्व ग्राम पनाणियों की ढाणी खसरा नम्बर 487/399 रकबा 0.6799 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा नम्बर 505/401 रकबा 7.7780 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम व खसरा नम्बर 509/404 रकबा 1.6349 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम की भूमि आई हुई है। जिसकी जमाबन्दी नकल व भू–नक्शा साथ संलग्न है। उपरोक्त खसरों की भूमि पर प्रार्थीगण की पैतृक भूमि हैं जो प्रार्थीगण के नाम दर्ज के बाद से आज दिन तक खातेदारी में दर्ज होकर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं व प्रार्थीगण स्वयं के नाम से है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माटें तथा सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के बीच काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार लेते समय खेतों के सेढों के संबंध में तनाव एवं विवाद बना रहता है। तथा विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि का जबरन सेढा तोड़कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा प्रार्थीगण को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है। प्रार्थीगण हमेशा के लिए भूमि के सेढों बाबत् विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि का श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के कार्यालय से भूमि सीमाज्ञान का आदेश क्रमांक/भू. अ./2022/सीमाज्ञान/22 दिनांक 14.11.2022 पटवारी हल्का नेडीनाडी को सीमाज्ञान का आदेश किया था। श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के आदेश की पालना में दिनांक 16.11.2022 को हल्का पटवारी नेडीनाडी द्वारा उपरोक्त खसरों का प्रार्थीगण व मौतबरान् के रूबरू सीमाज्ञान किया गया मौके पर पड़ोसी खातेदारान के रूबरू मुस्तकिल बिन्दु कायम कर जरीबे चलाकर रेत के धूम्बे बनाकर राजस्व ग्राम शिवमन्दिर के खसरा नम्बर 471/77 एवं राजस्व ग्राम पनाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 487/399, 505/401 व 509/404 की सीमाये कायम की तो पड़ौसी खातेदारो ने वाद विवाद शुरू कर दिया और रेत के धूम्बे बनाये गये थे उन्हे बिखेरना शुरू कर दिया। उसके बाद से लगातार विप्रार्थी... के निशानात् बिखेरने व प्रार्थीगण को खेत से बेदखल करने की धमकी दी जा रही है ... किया हल्का पटवारी व आर.आई ने नेखमबंदी का आदेश श्रीमान न्यायालय से प्राप्त करने हेतू श्रीमान् के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया... इस पर यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मौके पर विवाद की स्थिति होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:29:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना,बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व कर्मचारियों को शांतिपूर्ण नेखमबंदी करने हेतू संबंधित पुलिस थाना हल्का धोरीमना को निर्देशित किया जावें कि वो नेखमबंदी के दौरान मौके पर शांति बनाये रखने हेतू पुलिस ईमदाद प्रदान करावें। प्रार्थीगण नेखमबंदी संबंधी सामग्री मौके पर उपलब्ध करवाने एवं नेखमबंदी संबंधी फीस अदा करने को तैयार है। विवादित भूमि मौजा शिवमन्दिर एवं पनाणियों की ढाणी पटवार मण्डल नोडीनाडी तहसील धोरीमन्ना में स्थित होने के कारण यह नेखमबंदी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– रूपये का साथ पेश है। अतः श्रीमान्जी के समक्ष नेखमबंदी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का खातेदारी के खेत राजस्व ग्राम शिवमन्दिर पटवार क्षेत्र नेडीनाडी तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 471/77 क्षेत्रफल 1.7968 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम एवं राजस्व ग्राम पनाणियों की ढाणी खसरा नम्बर 487/399 रकबा 0.6799 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा नम्बर 505/401 रकबा 7.7780 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम व खसरा नम्बर 509/404 रकबा 1.6349 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम के चारों तरफ पक्की नेखमबन्दी/पत्थरगढ़ी का आवेदन स्वीकार कर आवश्यकतानुसार मय पुलिस ईमदाद से करवाने का आदेश फरवाने की कृपा करावें का प्रार्थना पत्र पेश किया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 24 तक को जरिये रजिस्ट्रेड डाक से नोटिस भिजवाए गए। प्रार्थीगण वकील द्वारा दिनांक 18.07.2023 को विप्रार्थीगण को भिजवाये गये रजिस्ट्रेड नोटिस मय डाक डिलीवरी रिपोर्ट पेश की।

वकील श्री बलवन्तसिंह चौधरी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी वास्ते पक्षकार बनाने का पेश किया। राजस्व ग्राम लूंगी नाडी पटवार मण्डल दूधू के खेत खसरा नम्बर 281, 1249, 1250, 1255, 1248, 1252, 1251, 1254 से सीमाऐं लगती है। जिसे प्रार्थीगण वकील ने कोई आपत्ति नही कर, प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित खातेदारों को पक्षकार बनाकर, संशोधित शीर्षक पेश किया। जिसे संशोधित शीर्षक रेकर्ड पर लिया गया। संशोधित शीर्षक अनुसार विप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। विप्रार्थी संख्या 20 से 23 तथा 25 से 38 की ओर से जवाब पेश किया गया।

विप्रार्थीगण की ओर से जबाब इस प्रकार से पेश किया कि आवेदन के पद संख्या 01 का जवाब यह है की प्रार्थीगण के खातेदारी खेत शिव मदिंर खसरा संख्या 471/77 तथा मौजा पन्नाणियों की ढाणी खसरा संख्या 487/399 तथा 505/401, 509/404 पटवार हल्का नेडी नाडी तहसील गांव धोरीमन्ना में स्थित हैं। और विप्रार्थी संख्या 20 से 38 का मौजा लूंगी–नाडी सैन्टलमैन्ट के गांव दूधू तहसील धोरीमना में खसरा सं. 281, 1249, 1250, 1255, 1248, 1252, 1251,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:29:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना,बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

1254 स्थित होने से दोनो गावों धौरीमना व दुधू की आपस में सीमाए लगती हैं किन्तु विप्रार्थीगण मौजा लुगी नाडी (दुधू) में सैन्टलमैन्ट से आज तक उक्त खेतों में भौतिक रूप से काबिज चले आ रहे हैं जो इनकी पैतृक भूमि होने से मौके पर उक्त खेतों में ढाणिएं सिचाई के बेरे भौतिक रूप से मोजुद हैं और दोनो गांवो की सीमाओं के बीच हरे वृक्ष खेजड़ी, जाल की माठे सैन्टलमैन्ट से स्थापित हैं। किन्तु दोनो गांवों की सीमाओं के खेतो का नाप किया जाता हैं तो दोनो सीमाए ऑवरलैप हैं और सीमाओं का मिलान नही होने से प्रार्थीगण ने धारा 111, 128 रा.भू अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन पेश किया हैं और दोनो गांवों की सीमाओ का ओवरलैप होने से व सैन्टलमैन्ट ऑपरेशन समाप्त होने के बाद राजस्व दस्तावेजो में सैन्टलमैन्ट ऑपरेशन के दस्तावेज वर्तमान में समान नही होने से व सर्वे मैप व राजस्व दस्तावेज में विभिन्नता होने के कारण सक्षम न्यायालय वास्तविक व भौतिक रूप से कब्जे के आधार पर नेखमबंदी करवाने के वैध अधिकारी हैं। आवेदन के पद संख्या 02 गलत होने से अस्वीकार हैं जिसका जवाब यह हैं कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 20 से 38 के खेत सैन्टलमैन्ट के गांव धौरीमन्ना दुधू में अवस्थित हैं तथा प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 20 से 38 के खेतों के सेढो पर वक्स सेन्टलमैन्ट से पूर्व जाल खेजड़ी हरे वृक्ष खड़े हैं तथा इन वृक्षो से बड़ी माठे भी अवस्थित हैं। आवेदन के पद संख्या 03 गलत हैं तथा जवाब यह हैं कि प्रार्थीगण के खेत सैन्टलमैन्ट के गांव धोरीमन्ना में अवस्थित हैं और विप्रार्थीगण मौजा दुधू के पडौस में खातेदारी खेत होने से अपने खातेदारी खेत में भौतिक रूप से काबिज हैं किन्तु दोनो गांवो की शरद (सीमा) का अवलोकन करने से सीमा स्थापित होना संभव नही हैं। तथा प्रार्थीगण तथा विप्रार्थीगण के सेढे पर भू पैमाईश से पहले ही हरे वृक्ष स्थापित हैं जो साक्ष्य के रूप में प्रमाणित हैं और दोनो गांवो की शरद पर माठे हरे वृक्ष की होने से व सीमा ऑवरलोप होने से प्रार्थीगण धारा 111, 128 रा भू अधिनियम 1956 में सक्षम न्यायालय से मांठो को रदोबदल या हिलाने का प्राकृतिक व न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत आदेश नही दे सकता हैं। आवेदन का पद संख्या 04 गलत होने से अस्वीकार हैं जवाब यह हैं कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के खेत मौजा धौरीमन्ना व दुधू (लूंगी नाडी) में सैन्टलमैन्ट के गांव हैं जिनकी शरद में अवस्थित होने से दोनो पक्षकार सैन्टलमैन्ट से आज तक भौतिक रूप से काबिज व निवास हैं और कृषि कार्य करते हैं। किन्तु दोनो गांवो को अवलो[illegible] से धारा 111, 128 रा. भू अधिनियम 1956 में नेखमबं[illegible] की स्थिति में प्रार्थीगण को नियमित वाद [illegible] में जाना पड़ेगा और सक्षम न्यायालय से नेखमबंदी सैन्टलमैन्ट की सीमाओं [illegible] परिवर्तन (रदोबदल) करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:29:54 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना,बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्राधिकार नही हैं। आवेदन का पद संख्या 05 गलत होने से अस्वीकार हैं क्योकि विप्रार्थीगण संख्या 20 से 38 व प्रार्थीगण के खेत शरद (सीमा) ऑवरलैप हैं किन्तु प्रार्थीगण के नेखमबंदी आवेदन के साथ साथ विप्रार्थीगण 20 से 38 मौजा लूंगी नाडी के उक्त खेतो की नेखमबंदी करने के लिए काउटर क्लैम पेश किया जा रहा हैं और विप्रार्थीगण संख्या 20 से 38 के राजस्व दस्तावेज साथ पेश किए जा रहे हैं। आवेदन का पद संख्या 06 कानुनी हैं। आवेदन का पद संख्या 07 कानुनी हैं।अतः निवेदन हैं कि सैन्टलमैनट ऑपरेशन समाप्त हो चुका हैं और प्रार्थीगण के खेत धोरीमन्ना व दुधू की सीमाओं पर स्थित हैं और दोनो पक्षकारो के खेतो की सीमाए ऑवरलैप होने से विवाद हैं तो विधि न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्व भू अधिनियम 1956 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय सीमाओं में रदोबदल या हिलाने का क्षेत्राधिकार से बाहर होने से यह आवेदन प्रार्थीगण का खारिज फरमाया जावें। काउटर क्लेम (प्रतिवाद)– विप्रार्थीगण संख्या 20 से 38 सैन्टलमैन्ट गांव दुधू नया गांव लूंगी नाडी तहसील धौरीमन्ना में खसरा सं. 281, 1249, 1250, 1255, 1248, 1252, 1251, 1254 के खेतों की धौरीमनना की सीमा लगते हुए होने से प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 497/399 505/401 509/404 के खेतो की नेखमबंदी के साथ साथ विप्रार्थीगण वैध खातेदार व पक्षकार होने से धारा 111, 128 रा. भू अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रतिदावे से नेखमबंदी करने का आदेश फरमाया जावें सम्बधित दस्तावेज साथ सग्लन हैं।दुधू व धोरीमन्ना की सैन्टलमैन्ट ऑपेरेशन के दौरान सीमाए स्थापित की गई और उसके बाद सैन्टलमैन्ट समाप्त हो चुका हैं और दोनो गांवों की सीमाए ऑवरलैप हैं तो सैन्टलमैन्ट के राजस्व दस्तावेज व सर्वे मैप को हिलाने का क्षेत्राधिकार सक्षम न्यायालय का नही हैं। प्रार्थीगण सैन्टलमैन्ट प्रककिया व राजस्व दस्तावेजो में भौतिक कब्जे में पक्षकारों के बीच विरोधाभास होने से प्रार्थीगण नियमित वाद से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी हैं और प्रार्थीगण धारा 111, 128 रा.भू अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं।

प्रार्थीगण वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों के चारो तरफ पक्की नेखमबन्दी का आदेश प्रदान करावें ताकि खेत के चारो तरफ पक्की बाड़/बाढ बना सके, खेती रखवाली के लिए बाड़ बना सके, प्रार्थीगण किसान हैं किसान के खेत के चारों तरफ नेखमबंदी करना आवश्यक है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:29:54 IST
Reason: SelfAttested

विप्रार्थी संख्या 20 से 23 तथा 25 से 38 के वकील की बहस है कि राजस्व ग्राम शिवमन्दिर के खसरा नम्बर 471/77 एवं राजस्व ग्राम पुनाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 487/399, 505/401 व 509/404 की सीमाए राजस्व ग्राम लूंगी नाडी पटवार

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

मण्डल दूधू के खेत खसरा नम्बर 281, 1249, 1250, 1255, 1248, 1252, 1251, 1254 से लगती है। नेखमबन्दी हेतु प्रस्तुत खसरों में दो पटवार मण्डल की सीमाऐं होने के कारण ऑवरलैप की स्थिति बन रही है। इसलिए प्रार्थीगण की नेखमबन्दी के साथ हम विप्रार्थीगण की भी नेखमबन्दी के आदेश फरमावे।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध आवेदन, आवेदन के जवाब, प्रतिवाद का अध्ययन व अकलोकन किया तथा साथ प्रस्तुत आवेदन, जबाब के दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया तो – हस्तगत आवेदन में दो बिन्दु तय करने हैं।

बिन्दु संख्या एक – राजस्व ग्राम शिवमन्दिर पटवार क्षेत्र नेडीनाडी तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 471/77 क्षेत्रफल 1.7968 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम एवं राजस्व ग्राम पनाणियों की ढाणी खसरा नम्बर 487/399 रकबा 0.6799 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा नम्बर 505/401 रकबा 7.7780 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम व खसरा नम्बर 509/404 रकबा 1.6349 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम के चारों तरफ पक्की नेखमबन्दी/ पत्थरगढ़ी का आवेदन स्वीकार करना ।

........................जरिये प्रार्थीगण

बिन्दु संख्या दो – विप्रार्थीगण संख्या 20 से 38 सैन्टलमैन्ट गांव दुधू नया गांव लूंगी नाडी तहसील धौरीमन्ना में खसरा सं. 281, 1249, 1250, 1255, 1248, 1252, 1251, 1254 के खेतों की धौरीमना की सीमा लगते हुए होने से प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 497/399 505/401 509/404 के खेतो की नेखमबंदी के साथ साथ विप्रार्थीगण वैध खातेदार व पक्षकार होने से धारा 111, 128 रा. भू अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रतिदावे से नेखमबंदी करने का आदेश फरमाया जावें।

........................जरिये विप्रार्थी संख्या 20 से 38

हमने बिन्दु संख्या 01 के सम्बन्ध में हमने उभयपक्षकारान् के अधिवक्ताओं की बहस को विस्तारपूर्व सुना गया प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया, अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण विवादित आराजी राजस्व ग्राम शिवमन्दिर पटवार क्षेत्र नेडीनाडी तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 471/77 क्षेत्रफल 1.7968 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम एवं राजस्व ग्राम पनाणियों की ढाणी खसरा नम्बर 487/399 रकबा 0.6799 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा नम्बर 505/401 रकबा 7.7780 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम व खसरा नम्बर 509/404 रकबा 1.6349 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम की खातेदार दर्ज राजस्व रेकर्ड रेकर्डेड खातेदार है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है "विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि का जबरन सेढा तोड़कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा प्रार्थीगण को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है। प्रार्थीगण हमेशा के लिए भूमि के सेढें सम्बन्ध विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि का श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के कार्यालय से भूमि सीमाज्ञान का आदेश क्रमांक/भू. अ./2022/सीमाज्ञान/22 दिनांक 14.10.2022 पटवार हल्का नेडीनाडी को सीमाज्ञान का आदेश किया था। श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के आदेश की पालना में दिनांक 16.11.2022 को हल्का पटवारी लूखू द्वारा उपरोक्त खसरों का प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:29:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

व मौतबरान् के रूबरू सीमाज्ञान किया गया मौके पर पड़ोसी खातेदारान के रूबरू मुरतकिल बिन्दु कायम कर जरीबे चलाकर रेत के धूम्बे बनाकर खसरा नम्बर 471/77, खसरा नम्बर 487/399, खसरा नम्बर 505/401, खसरा नम्बर 509/404 की सीमाये कायम की तो पड़ौसी खातेदारो ने वाद विवाद शुरू कर दिया और रेत के धूम्बे बनाये गये थे उन्हे बिखेरना शुरू कर दिया। उसके बाद से लगातार विप्रार्थीगणों ने रेत के निशानात् बिखेरने व प्रार्थीगण को खेत से बेदखल करने की धमकिया दी तब हल्का पटवारी से सम्पर्क किया हल्का पटवारी व आर.आई ने नेखमबंदी का आदेश श्रीमान् न्यायालय से प्राप्त करने हेतू श्रीमान् के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। " प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की माटें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते है। राजस्व ग्राम शिवमन्दिर पटवार क्षेत्र नेडीनाडी तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 471/77 क्षेत्रफल 1.7968 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम एवं राजस्व ग्राम पनाणियों की ढाणी खसरा नम्बर 487/399 रकबा 0.6799 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा नम्बर 505/401 रकबा 7.7780 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम व खसरा नम्बर 509/404 रकबा 1.6349 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

हमने बिन्दु संख्या 02 के सम्बन्ध में हमने उभयपक्षकारान् के अधिवक्ताओं की बहस को विस्तारपूर्व सुना गया प्रार्थना पत्र के जबाब व काउन्टर क्लेम (प्रतिवाद) तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली-भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया, अध्ययन से स्पष्ट है कि विप्रार्थीगण संख्या 20 से 38 सैन्टलमैन्ट गांव दुधू नया गांव लूंगी नाडी तहसील धौरीमन्ना में खसरा सं. 281, 1249, 1250, 1255, 1248, 1252, 1251, 1254 के खेतों की धौरीमना की सीमा लगते हुए होने से प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 497/399 505/401 509/404 के खेतो की नेखमबंदी के साथ साथ विप्रार्थीगण वैध खातेदार व पक्षकार होने से धारा 111, 128 रा. भू अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रतिदावे से नेखमबंदी करने का आदेश फरमाया जावें की इस्तदुआ के सम्बन्ध में जमाबन्दी पेश की गई हैं लेकिन खसरा संख्या 281, 1249, 1250, 1255, 1248, 1252, 1251, 1254 का सीमाज्ञान, अन्य पड़ौसी खातेदार पक्षकार नहीं होने तथा अन्य पड़ौसी खातेदारों को सुने बिना प्रतिवाद स्वीकार करना उचित व न्याय संगत नहीं होगा। हस्तगत [illegible] के जबाब के साथ प्रस्तुत प्रतिवाद को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत नहीं समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:29:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

– : : आदेश : : –

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भली–भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम शिवमन्दिर पटवार क्षेत्र नेडीनाडी तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 471/77 क्षेत्रफल 1.7968 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम एवं राजस्व ग्राम पनाणियों की ढाणी खसरा नम्बर 487/399 रकबा 0.6799 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा नम्बर 505/401 रकबा 7.7780 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम व खसरा नम्बर 509/404 रकबा 1.6349 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे–खर्चे से उसके राजस्व ग्राम शिवमन्दिर पटवार क्षेत्र नेडीनाडी तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 471/77 क्षेत्रफल 1.7968 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम एवं राजस्व ग्राम पनाणियों की ढाणी खसरा नम्बर 487/399 रकबा 0.6799 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, खसरा नम्बर 505/401 रकबा 7.7780 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम व खसरा नम्बर 509/404 रकबा 1.6349 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक (नेखमबन्दी/पत्थरगढ़ी) रोपित करावें। विप्रार्थीगण संख्या 20 से 38 सैन्टलमैन्ट गांव दुधू नया गांव लूंगी नाडी तहसील धौरीमन्ना में खसरा सं. 281, 1249, 1250, 1255, 1248, 1252, 1251, 1254 के खेतों की धौरीमना की सीमा लगते हुए होने से प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 497/399 505/401 509/404 के खेतो की नेखमबंदी के साथ साथ विप्रार्थीगण वैध खातेदार व पक्षकार होने से धारा 111, 128 रा. भू अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रतिदावे से नेखमबंदी करने का आदेश फरमाया जावें की इस्तदुआ के सम्बन्ध में जमाबन्दी पेश की गई हैं लेकिन खसरा संख्या 281, 1249, 1250, 1255, 1248, 1252, 1251, 1254 का सीमाज्ञान, अन्य पड़ौसी खातेदार पक्षकार नहीं होने तथा अन्य पड़ौसी खातेदारों को सुने बिना प्रतिवाद स्वीकार करना उचित व न्याय संगत नहीं होगा। हस्तगत प्रार्थना पत्र के जबाब के साथ प्रस्तुत प्रतिवाद को अस्वीकार व खारीज किया जाता है। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। विप्रार्थी अपने खसरों को नया आवेदन सभी खातेदारों को पक्षकार बनाकर, सीमाज्ञान करवाकर प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

(धीरेन्द्र सिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:29:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना
जिला-बाड़मेर

(धीरेन्द्र सिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner